

कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, बांदा।

सूचना

सर्व साधारण का सूचित किया जाता है कि निम्नांकित दुकानों की शेष वित्तीय वर्ष 2016–2017 की अवधि हेतु नीलामी बोली, पृथक –पृथक नजारत, जिला जजी, बांदा में दिनांक 27.05.2016 को अपराह्न 01.30 बजे से निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	दुकान का प्रकार (जजी परिसर)	जमानत धनराशि	बोली का समय
1	साइकिल स्टैण्ड	रु0 5000/-	अपराह्न 01.30 बजे से
2	फोटोकापी शाप	रु0 5000/-	अपराह्न 01.30 बजे से
3	कैण्टीन (मुख्य न्यायालय भवन)	रु0 10000/-	अपराह्न 01.30 बजे से
4	कैण्टीन (बहुखण्डीय न्यायालय भवन)	रु0 10000/-	अपराह्न 01.30 बजे से

1. बोली बोलने वाले को बोली से पूर्व उपरोक्तानुसार पृथक—पृथक नकद जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने के पश्चात स्वीकृत बोली के अतिरिक्त, शेष बोली बोलने वालों को लौटा दी जायेगी।
2. बोली स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत बोली की $1/4$ राशि उसी समय नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी।
3. जल एवं विद्युत व्यवस्था, ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
4. खाद्य सामग्री की बिक्री विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित मात्रा व दरों पर ही करना अनिवार्य होगी।
5. कैण्टीन व न्यायालय परिसर में पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा तथा पान मसाला आदि की बिक्री पूर्णतः वर्जित है।

बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने व नीलामी की तिथि स्थगित करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा। नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी केन्द्रीय नाजिर जिला जजी, बांदा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक :—

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य, नीलामी/बोली समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0 3
बांदा।

प्रतिलिपि, निम्नांकित कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा एवं निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु :—

1. सूचना पट, जिला सूचनाधिकारी, बांदा।
2. सूचना पट, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, बांदा।
3. सूचना पट, नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बांदा।
4. सूचना पट, जिला परिषद, बांदा।
5. सूचना पट, नगर पालिका परिषद, बांदा।
6. सूचना पट, जनपद न्यायालय, बांदा।
7. प्रधान सम्पादक, दैनिक कर्मयुग प्रकाशन
8. प्रधान सम्पादक, दैनिक श्री इण्डिया
9. प्रधान सम्पादक, दैनिक दोआवा वार्ता
10. प्रधान सम्पादक, दैनिक न्यायाधीश
11. प्रधान सम्पादक, बुन्देलखण्ड लाइब्रेरी, बांदा।